[2021] 9 एस. सी. आर. 821

एस. पी. द्वारा राज्य एस. पी. के माध्यम से सी. बी. आई.

बानाम

उत्थमचंद बोहरा

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1590)

09 दिसंबर, 2021

[के. एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एस. 13 (1) (ई), 13 (2)

- -

ए-1, एक लोक सेवक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत करके आय के अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया था-प्रतिवादी पर ए-1 के साथ उकसाने और/या साजिश रचने का आरोप लगाया गया था-अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए-1 ने एक कंपनी के माध्यम से एक फ्लैट हासिल किया था-प्रतिवादी पर करीबी सहयोगी होने का आरोप लगाया गया था और

ए-1 के वित्तपोषक और उसके परिवार-उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ खारिज की गई आरोप पत्र अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: के लिए जिम्मेदार भूमिका

प्रत्यर्थी यह है कि उसने बिक्री विलेख के निष्पादन में सहायता की

संपत्ति जो उसके घर से जब्त की गई थी और यह कि उसका कर्मचारी बिक्री विलेख का गवाह था-यह तथ्य कि बिक्री विलेख प्रतिवादी के निवास में था, उसके खिलाफ कथित अपराधों में से किसी के भी घटक को संतुष्ट नहीं कर सकता है।

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए ए-1 को उसकी सहायता या उकसाने के बराबर नहीं हो सकता है-वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. में केवल ए-1 और ए-2 (ए-1 की पत्नी) को आरोपी के रूप में नामित किया गया है-प्रतिवादी का नाम वर्तमान मामले में शामिल किया गया था, हालांकि बिक्री विलेख को किसी अन्य एफ. आई. आर. के संबंध में की गई तलाशी के दौरान जब्त किया गया था (पहले के मामले में जिसमें प्रतिवादी सह-आरोपी था) और वर्तमान मामले के संबंध में नहीं-पहले का मामला वर्तमान मामले के लिए अप्रासंगिक है।

-

इसके अलावा, प्रतिवादी एक लोक अधिकारी या लोक सेवक नहीं था-इसलिए, उस पर अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। एस. 13 (1) (ई) आर/डब्ल्यूएस। 13 (2) – प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसे कोई लाभ मिला या उसके नाम पर संपत्ति थी

ए-1 के लाभ के लिए-कंपनी ने जो संपत्ति खरीदी थी, वह उसके नाम पर थी, बिक्री विलेख के तहत खरीदी गई संपत्ति के लिए मनी ट्रेल, प्रतिवादी की भागीदारी नहीं दिखाती है-प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाली कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी या तो एक षडयंत्रकारी था या उसने आयोग को उकसाया था।

ए-1 के विरुद्ध अभिकथित अपराध-यू/एस एस के अधीन अभिकथित अपराध। 120 - बी, 109, प्रतिवादी के खिलाफ आई. पी. सी. आरोप पत्र से नहीं बनाया गया है दंड संहिता, 1860-एस. एस. 120 बी, 109-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 397 , 401 , 226-228 , 239 , 161 .

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-एस. 13 (1) (ई), 13 (2)-दंड संहिता, 1860 - s.120B-लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार

षडयंत्र-संदेह का मानक-आयोजित: लागू करने के लिए सामग्री

किसी लोक सेवक के साथ मिलकर काम करने वाले षडयंत्रकारी के रूप में, पी. सी. ए. के तहत कदाचार करने या लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, दृढ़ आधार पर होना चाहिए।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 प्रत्यर्थी पर मुख्य अभियुक्त, एक लोक सेवक (ए-1) के साथ उकसाने और/या साजिश रचने का आरोप है, ताकि उसे अपनी आय से अधिक संपत्ति जमा करने की अनुमति दी जा सके।

आय के ज्ञात स्रोत। ए-1 केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, जो आयकर विभाग में काम करते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने कंपनी (मेसर्स) के माध्यम से फ्लैट का अधिग्रहण किया। रवितेजा ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड)। दो अन्य आरोपी, जिन्होंने अधिग्रहण में सहायता की, सरकारी गवाह बन गए; उन्होंने भी पदच्युत कर दिया रास्ते के दौरान। प्रत्यर्थी की भूमिका यह है कि उसने संपत्ति के बिक्री विलेख के निष्पादन में मदद की, और स्वामित्व विलेख की अभिरक्षा उसे रखी। दस्तावेज़ वास्तव में उसके घर से जब्त किया गया था। यह जब्ती वर्तमान मामला शुरू होने से एक साल पहले हुई थी; वास्तव में, सी. बी. आई. ने एक और आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें ए-1 को भी फंसाया गया था। उस मामले में सीबीआई ने उसके पास से 50 लाख रुपये जब्त किए थे। वर्तमान मामले में, बिक्री विलेख की प्रत्यर्थी की अभिरक्षा से वसूली

कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति ने अलग कार्यवाही शुरू की; अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादी पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था, जिसे आईपीसी की धारा 120 ए के तहत परिभाषित किया गया था और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दंडनीय और आईपीसी की धारा 107 द्वारा परिभाषित और आईपीसी की धारा 109 के तहत दंडनीय था। [पैरा 22] [838-डी-जी; 839-ए]

1.2 पी. सी. ए. की धारा 13 (1) (ई) और धारा 13 (2) प्रासंगिक हैं क्योंकि प्रतिवादी पर इसके तहत आरोप लगाए जाने की मांग की गई थी।

उन प्रावधानों को। प्रतिवादी, एस. पी. द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी या सार्वजनिक राज्य नहीं था।

उत्थमचंद बोहरा

सेवक। इसलिए उस पर पी. सी. ए. की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (ई) के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कि उसे कोई प्राप्त हुआ है

ए-1 के लाभ के लिए नाम। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने जो संपत्ति खरीदी थी, वह उसके नाम पर थी। प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जो उसे बिक्री विलेख के निष्पादन से संबंधित लेनदेन से जोड़ता है, या यह आरोप लगाता है कि उसने ए-1 और अन्य लोगों के साथ एक अवैध कार्य करने के लिए समझौता किया था। इसके अलावा, अवैध तरीके से कानूनी कार्य किए जाने का कोई आरोप नहीं है। इसलिए, धारा 120 के तहत कथित अपराध बी

प्रतिवादी के खिलाफ आई. पी. सी. भी आरोप पत्र से नहीं बनाया गया है। आरोप-पत्र में आगे ऐसा कोई आरोप नहीं है जो आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत अपराध हो।

उसकी हिरासत से जब्त कर लिया गया था और उसने उसे निर्देश दिया था दस्तावेज़ को देखने के लिए कर्मचारी। प्रत्यर्थी के कर्मचारी के हस्ताक्षर के अस्तित्व का आरोप, बिक्री विलेख के गवाह के रूप में, आय से अधिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए ए-1 को सहायता या उकसाने के बराबर नहीं हो सकता है। बिक्री विलेख को देखना एक औपचारिक कार्य है।

आवश्यकताएँ। इसी तरह, तथ्य यह है कि बिक्री विलेख में था

कथित अपराध। वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान 74 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वे इस अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा थे; वे कुछ भी नहीं दिखाते हैं जहाँ तक प्रत्यर्थी का संबंध है, दोषारोपण करने वाली सामग्री। इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, बिक्री विलेख के तहत खरीदी गई संपत्ति के लिए धन का पता, प्रतिवादी की भागीदारी को नहीं दर्शाता है। इसमें ए-3 और ए-4 शामिल हो सकते हैं, हालांकि, अदालत ने उन्हें माफी दे दी है, जिसके लिए वे सरकारी गवाह बन गए हैं। आरोप-पत्र के तहत फ्लैट की खरीद के लिए धन का पता-जिस पर विवादित फैसले में भी चर्चा की गई है, वह यह है कि (ए) संपत्ति

मेसर्स द्वारा खरीदा गया था। रवितेजा ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड के माध्यम से ए-1 द्वारा कथित रूप से अपने मित्र ए-7; (बी) ए-1 [2021] 9 एस. सी. आर. के माध्यम से स्रोतों की व्यवस्था की गई।

दो कंपनियों मेसर्स के साथ आधिकारिक सौदे थे। ए. एस. शिपिंग एजेंसियां और मेसर्स। अबान ऑफशोर लिमिटेड, चेन्नई; (सी) ए-1 के संदर्भ में, एक कंपनी (जिसमें ए-7 एक निदेशक (मेसर्स) है। ज्वारीय आँकड़ा सॉल्यूशंस, बैंगलोर) ने उक्त दो कंपनियों (मेसर्स) को डेटा भंडारण सर्वर की आपूर्ति की थी। ए. एस. शिपिंग एजेंसियां और मेसर्स। अबान ऑफशोर लिमिटेड); (घ) बाद की दो कंपनियाँ [मेसर्स। ए. एस. शिपिंग

एजेंसियां और मेसर्स। अबान ऑफशोर लिमिटेड] ने ए-7 को लगभग 1 करोड़ अतिरिक्त (चालान राशि से अधिक) का भुगतान किया था; (ई) ए-7 ने चेक के माध्यम से भुगतान एकत्र किया था और उन्हें ए-6 की कंपनियों (उत्कर्ष) के चालू खातों में जमा किया था। इंफोटेक प्रा. लिमिटेड, और उत्कर्ष स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड); (च) ए-7 के निर्देश पर, ए-

6 की कंपनियों ने मेसर्स के खाते में 94,82,300/- हस्तांतरित किया। रवितेजा ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड, जिसमें से ₹ 80,00,000/- का उपयोग कंपनी द्वारा किया गया था (अनुमोदक ए-4 द्वारा प्रतिनिधित्व ए-1 के निर्देश पर संपत्ति खरीदने के लिए। ए-4 द्वारा 50 लाख और 30 लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट तैयार किए गए थे। [पारस 22-25] [839-ए;

840 - सी-एच; 841-ए-ई]

1.3 यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट दोनों के संदर्भ में, प्रतिवादी धन के लेन-देन में शामिल नहीं है या

अभियोजन पक्ष के अनुसार संपत्ति की खरीद के लिए लेन-देन जो ए-1 द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह एक तथ्य है कि न केवल जांच पूरी हो गई है, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। कोई सवाल नहीं हो सकता

कोई और सबूत पेश करना। सी. बी. आई. इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि प्रतिवादी का नाम वर्तमान मामले में शामिल किया गया था, हालांकि बिक्री विलेख को एक अन्य एफ. आई. आर. (पहले का मामला-सी. सी. नं. 3/2013) के संबंध में की गई तलाशी के दौरान जब्त किया गया था, जिसमें प्रतिवादी एक सह-आरोपी था और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसका वाहन था। ए-1 द्वारा प्राप्त ₹50 लाख की रिश्वत राशि को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में ए-1 की मदद करने का प्रयास किया गया था)-और वर्तमान मामले के संबंध में नहीं, जो इस मामले से संबंधित है।

आय से अधिक संपत्ति का मामला। वर्तमान मामले में प्राथमिकी में नाम

अभियुक्त के रूप में केवल ए-1 और ए-2। तब तक प्रतिवादी के घर से बिक्री विलेख पहले ही जब्त कर लिया गया था। सी. बी. आई. ने आग्रह किया था कि पूर्व मामले में प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों का उपयोग वर्तमान मामले में उनके खिलाफ किया जा सकता है, हालांकि वर्तमान मामले में अंतिम रिपोर्ट में उनका कोई संदर्भ नहीं है। वर्तमान मामले में अंतिम रिपोर्ट सी. सी. नं. 3/2013 में एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद और एस. पी. द्वारा राज्य से बिक्री विलेख की जब्ती के बाद दायर की गई थी।

उत्थमचंद बोहरा

उत्तरदाता का घर। अंतिम रिपोर्ट में 29.08.2011 की प्राथमिकी का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।

वर्तमान मामले में आरोप पत्र में प्रतिवादी [सी. सी. सं. 5/2015] सी. सी. सं. 3/2013 में अपने खिलाफ आरोपों के आधार पर या उन्हें स्वीकार करते हुए। अतः दोनों मामले अलग-अलग हैं। सी. सी. सं. 3/2013 में प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप इससे संबंधित नहीं हैं असमान संपत्ति। इसलिए, सी. सी. संख्या 3/2013 अप्रासंगिक है।

वर्तमान मामले में। [पैरा 9,26-28] [841-E-H; 829-E-F; 842-A-C, F]

जे एंड के राज्य बनाम सुदर्शन चक्कर 1995) 4 एस. सी. सी. 181

: [1995] 1 पूरक। एस. सी. आर. 294-पर निर्भर था।

1.4 इस प्रकार, किसी को एक लोक सेवक के साथ मिलकर काम करने वाले षडचंत्रकारी के रूप में फंसाने की सामग्री, जिस पर पी. सी. ए. के तहत कदाचार करने का आरोप है, या किसी लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति अर्जित करने की सामग्री, ठोस आधार पर होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, केवल दो परिस्थितियों में प्रत्यर्थी के खिलाफ बिक्री विलेख (कथित रूप से ए-1 से संबंधित संपत्ति का) की अभिरक्षा और यह तथ्य कि यह प्रत्यर्थी के कर्मचारी द्वारा देखा गया था, आरोप लगाया जाता है। ये एक उचित संदेह पैदा करने या साजिश के लिए उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। जहाँ तक प्रत्यर्थी का संबंध है, आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत सामग्री की प्रकृति को देखते हुए, यह दिखाने का प्रारंभिक बोझ कि एक साजिश मौजूद थी, उसके खिलाफ आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। निचली अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री का पूरा अवलोकन, आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ मुकदमे के दौरान जिन 74 गवाहों से पूछताछ की गई थी, वे सीबीआई के प्रतिवादी के आरोप का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस लेन-देन का वित्तपोषण नहीं किया जिसके द्वारा संपत्ति मेसर्स रवितेजा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट को बेची गई थी। लिमिटेड, जो उस अभियोजन के अनुसार, वास्तव में ए-1 द्वारा था। प्रत्यर्थी पर फ्लैट के अधिग्रहण के लिए धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने का भी आरोप नहीं है। उसके खिलाफ रखी गई सामग्री यह है कि वर्तमान मामले से पहले बिक्री विलेख को जब्त कर लिया गया था। उसके खिलाफ दूसरी परिस्थिति यह है कि उसका कर्मचारी बिक्री विलेख का गवाह है। मान लीजिए कि प्रत्यर्थी न तो मालिक है और न ही उसका मेसर्स रवितेजा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट के साथ कोई संबंध है। लि. ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो प्रथम दृष्टया समर्थन कर सके यह निष्कर्ष निकालना कि प्रतिवादी या तो एक षडचंत्रकारी था या उसने अभियुक्त ए-1 के खिलाफ कथित अपराधों को करने के लिए उकसाया था। [पैरा 29,30,32] [843-डी-एफ; 844-बी-एच; 845-ए-सी] [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दीपक सुराना बनाम स्टेट ऑफ एम. पी. सुप्रीम का निर्णय

कोर्ट डी. टी. डी. 08.02.2016 की आपराधिक अपील सं. 128 में

2016 ; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v. के. नारायण

राव (2012) 9 एससीसी 512: [2012] 9 एस. सी. आर. 54; पी. नल्लम्मल

वी. राज्य (1999) 6 एससीसी 559: [1999] 1 पूरक। एससीआर 135 - पर भरोसा किया।

निर्मलजीत सिंह हून बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1973) 3

एससीसी 753: [1973] 2 एससीआर 66
बिहार राज्य बनाम। रमेश सिंह (1977) 4 एससीसी 39: [1978]

1 एस. सी. आर. 257; भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल & ओआरएस 1979 (3) एससीसी 4-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1973] 2 एससीआर 66

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1978] 1 एससीआर 257

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2012] 9 एससीआर 54

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[1995] 1 पूरक। एससीआर-294

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[1999] 1 पूरक। एससीआर 135

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1590।

उच्च न्यायालय के 25.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के आपराधिक संशोधन मामले No.73 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, सुश्री रंजना नारायण, सचिन शर्मा,

सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुगोश सुब्रमण्यम, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आर. बसंत, सीनियर एड. , रमेश अल्लांकी, सुश्री अरुणा गुप्ता, सिद्धांत

बक्सी, डी. वी. रघु वामसी, सैयद अहमद नकवी, अक्षय सहाय, दसारी मुरलीमोहन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. यह विशेष अनुमति याचिका 447 दिनों की देरी के बाद दायर की गई थी।

सफल उत्तरदाता (उत्तमचंद बोहरा, इसके बाद " उत्तमचंद/प्रतिवादी), जिन्हें नोटिस जारी किया गया था कि याचिका दायर करने में देरी को क्यों माफ नहीं किया जाना चाहिए, ने अदालत के एस. पी. द्वारा राज्य पर आपत्ति जताई।

उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

याचिका पर विचार करते हुए, यह आग्रह करते हुए कि विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति (25.05.2017 पर वितरित), 13.03.2018 पर लागू की गई थी और अंततः याचिका 13.11.2018 पर दायर की गई थी। इस प्रकार, याचिका दायर करने में कुल 447 दिनों की देरी हुई, जो अत्यधिक है। यह आग्रह किया गया था कि क्षमा के लिए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था।

3. प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि हालांकि 447 दिनों से अधिक की देरी काफी है, फिर भी याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसने मूल रसीद खो दी है और उसे एक नई प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करना पड़ा है। न्यायालय की राय में प्रमाणित प्रति की प्राप्ति के बाद हुई देरी इतनी अधिक नहीं है कि आवेदन को खारिज कर दिया जाए, अर्थात आई. ए. सं. 178754/2018। आवेदन की अनुमति दी जाती है और याचिका दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।

4. विशेष अवकाश दिया गया। पक्षकारसभक वकीलक सहमतिसँ अंततः अपीलपर सुनवाइ भेल।

5. सी. बी. आई., इस अपील में, मद्रास उच्च न्यायालय 1 के एक फैसले से व्यथित है, जिसके द्वारा, धारा 397 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है।

और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 (इसके बाद "सी. आर. पी. सी".) ने प्रतिवादी (जिसे 2015 की सी. सी. संख्या 5 में पांचवें आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था) के खिलाफ सी. बी. आई. मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश (बारहवीं अतिरिक्त न्यायाधीश) के समक्ष आरोप पत्र को रद्द कर दिया। न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, चेन्नई (इसके बाद "मुकदमा")

अदालत ")। निचली अदालत ने अपने दिनांक 29.12.2015 के आदेश द्वारा Crl.M.P.No.6873/2015 को खारिज कर दिया था, जो उत्तमचंद को आरोपमुक्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत एक आवेदन था। 1 1 सी. आर. पी. 73/2017 में दिनांकित 25.05.2017।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. सी. बी. आई. ने अपने जाँच अधिकारी (इसके बाद "आई. ओ".) के माध्यम से जाँच पूरी करने के बाद 20.02.2012 पर एक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। पाँच (सात में से) अभियुक्तों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173। बाधे रत्नम महेश, पुत्र बी. एस. रत्नम (ए-3) और बाधे आनंद चैतन्य, पुत्र बी. आर. महेश (ए-4) को क्षमा कर दिया गया और वे अनुमोदक बन गए। उन्हें मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया था। मुकदमे के लिए भेजे गए लोग थे: (i) अंदासु रविंदर, (ए 1); (ii) कविता अंदासु, ए-1 (ए-2) की पत्नी; (iii) उत्तमचंद (ए-5); (iv) उदय के. अग्रवाल, (ए-6); और (v) पोथाप्रगदा श्रीनिवास, (ए-7)। सीबीआई

आरोप लगाया कि अभियुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और धारा 109 (इसके बाद आई. पी. सी.) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) (इसके बाद पी. सी. ए.) के तहत दंडनीय अपराध किए।

7. अंतिम रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि ए-1, अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत से, 01.01.2005 से 29.08.2011 की अवधि के दौरान जमा किया गया था।

उनके नाम पर, साथ ही उनकी पत्नी के नाम पर (ए-2) ₹ 2,32,20,296/- की संपत्ति जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक थी, जिसके लिए वे संतोषजनक रूप से लेखा देने में सक्षम नहीं थे। यह आरोप लगाया गया था

कि ए-2 एक घरेलू पत्नी थी। उन्होंने मूल्यांकन वर्षों 2005-06,2006-07,2007-08,2009-10 और 2011 के लिए अपनी आयकर रिटर्न सरकारी गवाह (ए-4) के माध्यम से दाखिल की थी, जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट था जिसने उनकी ओर से काम किया था।

ए-1 और उससे पैसे प्राप्त किए। उस पैसे को ए-2 को वापस कर दिया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि उसने नौकरी के अनुबंध और व्यवसाय के माध्यम से आय अर्जित की है। यह भी आरोप लगाया गया कि ए-1 ने भी कई मौकों पर संपत्तियों की खरीद की और आयकर विवरणी में उन संपत्तियों को नहीं दर्शाया गया।

इन्हें चेन्नई में मेसर्स रवितेजा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट के नाम से खरीदा गया था। लिमिटेड, हैदराबाद (इसके बाद "कंपनी" भी)। उन्हें केवल ए-1 द्वारा व्यवस्थित स्रोतों के माध्यम से खरीदा गया था। के निर्देश पर

ए-7,94,82,300/- को ए-6 द्वारा उनके माध्यम से चेक द्वारा स्थानांतरित किया गया था। कंपनियों के खाते (अर्थात, मेसर्स। उत्कर्ष इंफोटेक प्रा. लिमिटेड, और मेसर्स। उत्कर्ष स्टाफिंग प्रा. लिमिटेड, सिकंदराबाद) मेसर्स के चालू खाते में। रवितेजा ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद मानक के साथ

चार्टर्ड बैंक, सिकंदराबाद। उस राशि को प्राप्त करने के बाद, एम/एस। रवितेजा ट्रेडिंग कं., प्रा. लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व अनुमोदक (ए-4) द्वारा किया जाता है, ने ए-1 के निर्देश पर चेन्नई में संपत्ति का अधिग्रहण किया। बिक्री पर विचार

₹ 80,00,000/- का भुगतान क्रमशः ₹ 50,00,000/- और ₹ 30,00,000/- के मूल्य के लिए दो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया था और इन दोनों डिमांड ड्राफ्ट को मेसर्स के निदेशक, अप्रूवर ए-4 द्वारा खरीदा गया था। रवितेजा ट्रेडिंग कं., प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद अपने चालू खाते के माध्यम से और राशि विक्रेता श्री बद्रुज़मान खान को सौंप दी गई।

एस. पी. द्वारा राज्य एस. पी. के माध्यम से सी. बी. आई. बनाम उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

8. अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि बिक्री विलेख (दिनांकित)

13.07.2011) संपत्ति का फ्लैट नंबर 4/3 (पुराना No.28/3), 2108 वर्ग मीटर। फीट। दूसरी मंजिल पर ए. आई. एल.-अहद अपार्टमेंट No.28 (वर्तमान संख्या 4)

कंपनी के नाम पर खरीदा गया, इसका मूल बिक्री विलेख उत्तमचंद के कब्जे से जब्त कर लिया गया था जो ए-1 के फाइनेंसर और करीबी सहयोगी थे। 9. उत्तमचंद के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के दो पहलू थेः पहला, (सी. सी. सं. 5/2015) में बिक्री विलेख की जब्ती से संबंधित,

और दूसरा सी. सी. सं. 3/2013 में मामले से संबंधित है। वर्तमान मामले में उत्तमचंद के खिलाफ आरोप है कि वह ए-1 और उसके परिवार का करीबी सहयोगी और वित्तपोषक था। मूल बिक्री विलेख कंपनी के नाम पर निष्पादित किया गया था। ए-1 के निर्देशों के अनुसार बिक्री विलेख उनकी अभिरक्षा में था। इस प्रकार उत्तमचंद ने ए-1 को अपने नाम के साथ-साथ अपनी पत्नी ए-2 के नाम पर और कंपनी के नाम पर संपत्ति अर्जित करने के लिए अपनी सक्रिय सहायता प्रदान की थी, जो कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ए-1 की आय के ज्ञात स्रोतों 2,32,20,296/- के अनुपात से असमान थी। ए-1 और ए-2 की कुल आय के लिए अनुपातहीन

परिसंपत्तियों के प्रतिशत की गणना 171.41% पर की जाती है, जिसका वे संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं लगा सके। दूसरा मामला (जिसे इसके बाद "पूर्ववर्ती मामला" कहा जाता है) था

कि उत्तमचंद आर. सी. सं. 33 (ए)/2011 (सी. सी.) में सह-अभियुक्त (ए-3) था। नं. 3/2013) और उस मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनके वाहन को तब रोका गया जब उन्होंने ए-1 की मदद करने का प्रयास किया था। ए-1 द्वारा प्राप्त ₹50 लाख की रिश्वत राशि को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना। वह मामला 20.02.2012 पर सीबीआई, ए. सी. बी., चेन्नई में दर्ज किया गया था।

पी. सी. ए. की धारा 13 (1) (ई) और आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत।

10. उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तमचंद की शिकायत थी कि उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा जिस एकमात्र सबूत पर भरोसा किया गया था, वह बिक्री विलेख का कब्जा था। उनका तर्क था कि भले ही सी. बी. आई. ने जो आरोप लगाया था उसे साबित करना था-जो यह है कि उनके कर्मचारी (वी. श्रीधर/पीडब्लू-45) ने दस्तावेज़ के निष्पादन को देखा था, लेकिन वह परिस्थिति उन्हें आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बना सकती थी। यह भी आग्रह किया गया कि चूंकि ए-1 और ए-2 के साथ उत्तमचंद के संबंधों के बारे में अभियोजन पक्ष को पता था और उसने स्वीकार किया, यानी एक वित्तपोषक के रूप में, (जो इस तथ्य से साबित हुआ कि उसके पास सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थी)

ए-2 को अग्रिम धन और आयकर विवरणी में इनका खुलासा किया था),

11. दूसरी ओर, सी. बी. आई. ने आग्रह किया कि संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेजों के धारक के रूप में उत्तमचंद की भूमिका स्पष्ट रूप से एक साजिश की ओर इशारा करती है उसके और ए-1 के बीच, लोक सेवक। वह कंपनी के नाम पर ए-1 द्वारा बेनामी संपत्ति की खरीद के लिए एक सहायक थे। यह तर्क दिया गया था कि अदालत, यह जांच करते हुए कि मुकदमे के लिए भेजे गए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं, सच्चाई की संभावना से चिंतित नहीं है, लेकिन क्या आरोपी के अपराध करने का उचित संदेह है। इस दृष्टिकोण से देखते हुए, आरोप तय करने के चरण में उत्तमचंद की भूमिका,

अर्थात्, बिक्री विलेख के कब्जे में होने के कारण, संपत्ति का वास्तविक मालिक ए-1 होना, संभावित रूप से उचित कारण था, जो निचली अदालत के लिए आरोप तय करने के लिए पर्याप्त था। किसी भी मामले में, निचली अदालत के लिए आरोपमुक्त करने के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करना पर्याप्त था जो उसने सही तरीके से किया था।

12. उच्च न्यायालय ने उनकी ओर से दलीलों को स्वीकार कर लिया

उत्तमचंद बोहरा। सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की समग्र जांच के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उत्तमचंद के कर्मचारी द्वारा देखे गए पंजीकृत बिक्री विलेख का केवल कब्जा उसे दोषी नहीं ठहरा सकता है। यह निर्धारित मानक को संतुष्ट करने के बराबर नहीं हो सकता है, यानी, अपराध करने के उचित संदेह का, उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यानी, एक लोक सेवक के साथ उकसाने और साजिश करने के लिए जो बाद वाले को धन जमा करने में सक्षम बनाता है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से असमान था। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि सरकारी गवाह का साक्षय, यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान, किसी भी तरह से उत्तमचंद को फंसाने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। उन बयानों ने केवल कंपनी द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की ओर इशारा किया अर्थात, एम / s.Raviteja ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद।

अभियोजन पक्ष के तर्क

13. सी. बी. आई. की ओर से, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आरोप-पत्र में मिलीभगत के स्पष्ट आरोप हैं जो एस. पी. द्वारा एस. पी. बनाम सी. बी. आई. के माध्यम से राज्य के बराबर है।

उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कभी खुलासा नहीं किया। यद्यपि ए-1 ने तर्क दिया कि संपत्ति कंपनी की थी, फिर भी यह केवल एक मोर्चा था। संपत्ति थी ए-1 के मित्र पी. श्रीनिवास, मेसर्स के निदेशक के माध्यम से खरीदा गया। टाइडल डेटा सॉल्यूशंस, बैंगलोर। ए-1 का दो संस्थाओं (मेसर्स) के साथ आधिकारिक लेनदेन था। ए. एस. शिपिंग एजेंसियां और मेसर्स। अबान ऑफशोर लिमिटेड, चेन्नई) जिसे मेसर्स. टाइडल डेटा सॉल्यूशंस ने एकीकृत भंडारण सर्वरों को मंजूरी दी थी। द.

उन्होंने कहा कि पी. श्रीनिवास ने उन कंपनियों से चालान मूल्य से अधिक भुगतान प्राप्त किया जो ए-6, उदय के. अग्रवाल की कंपनियों के खाते में जमा किए गए थे। फिर उन राशियों को

कंपनी यानी मेसर्स को भेज दिया गया। रवितेजा ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड जिसने अंततः फ्लैट खरीद लिया।

14. यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त कंपनियों द्वारा खरीदा गया मूल बिक्री विलेख उत्तमचंद के कब्जे से जब्त कर लिया गया था। उनके पास था

इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बिक्री विलेख उनके कब्जे में कैसे था। उत्तमचंद ए-2 को धन उधार देने वाले वित्तपोषक थे। ए-1 और ए-2 के साथ घनिष्ठ लेन-देन के लिए उत्तमचंद की स्वीकृति, जिस तरह से संपत्ति

15. यह आग्रह किया गया कि उत्तमचंद बिक्री विलेख के निष्पादन में सहायता और सहायता करें और अपने कर्मचारी (पीडब्लू-45) को बिक्री विलेख के गवाह के रूप में हस्ताक्षर करके ए-1 द्वारा की गई बेनामी खरीद को बढ़ावा दें। यह भी आग्रह किया गया कि 30.08.2011 पर तलाशी के दौरान, आवास पर 48,20,000/- के अलावा, उत्तमचंद का मूल बिक्री विलेख जब्त कर लिया गया था। वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट सिद्धार्थ मेहता (पीडब्लू-73) के बयान से यह स्पष्ट था कि बिक्री विलेख सिद्धार्थ मेहता द्वारा ए-1 को सौंप दिया गया था। बिक्री विलेख अंततः उत्तमचंद के आवास से बरामद किया गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिक्री विलेख स्वयं ए-1 द्वारा उत्तमचंद को केवल ए-1 को किसी भी कानूनी खोज से बचाने के लिए दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. ए. एस. जी. ने आर. सी. संख्या 33 (ए)/2011 (सी. सी.) में पहले के मामले के तथ्यों का भी संकेत दिया। सं. 3/2013) (पी. सी. ए., 1988 की धारा 120 बी आई. पी. सी. आर/डब्ल्यू 7 पर पंजीकृत। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ए-1 संगठित सर्वेक्षण

मैसर्स एवेरॉन एजुकेशन लिमिटेड, चेन्नई के परिसर में कार्यवाही और 100 करोड़ की कर योग्य आय को छिपाया। उन्होंने अनुचित अनुग्रह दिखाने के लिए 29.08.2011 पर श्री पी. किशोर से * 50 लाख की मांग की और स्वीकार किया।

और आयकर दायित्व को छिपाना। उन्होंने आगे आग्रह किया कि सी. बी. आई. की टीम ने उत्तमचंद को रात लगभग 9 बजे ए-1 के आवास पर जाने से रोका और ए-1 को उस कार को चलाकर पैसे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने में सहायता की जिसमें ए-1 बैठा था। ए-1 के

पास एक कार्टन था, जिसमें 50 लाख थे। इस प्रकार, उत्तमचंद ने ए-1 द्वारा प्राप्त रिश्वत राशि को ले जाने में सांठगांठ की।

एक सुरक्षित स्थान पर जिसके लिए वह बाद वाले के निवास पर पहुंचे, जो टेलीफोनिक निगरानी से भी साबित हुआ।

17. विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि इस न्यायालय ने निर्मलजीत सिंह हूं बनाम. पश्चिम बंगाल राज्य 2 ने अभिनिर्धारित किया कि एक आपराधिक मुकदमे में, परीक्षण यह था कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार प्रचलित थे, और यह नहीं कि क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार था। जब प्रथम दृष्टया साक्षय था, भले ही अभियुक्त व्यक्ति के पास बचाव हो सकता है, तो मामले को सही स्तर पर उपयुक्त मंच द्वारा तय किया जाना था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आरोप तय करने के लिए मजबूत संदेह पर्याप्त है

और बिहार राज्य बनाम पर भरोसा किया। रमेश सिंह 3.

18. श्री आर. बसंत, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष को फंसाने के लिए कोई सामग्री पेश करने में विफल रहा

अभियोजन पक्ष प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला भी स्थापित करने में विफल रहा। 19. भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और अन्य का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया कि परीक्षण एक प्रथम दृष्टया मामले का निर्धारण करने के लिए है

यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। हालांकि, अगर दो विचार समान हैं

2 (1973) 3 एससीसी 753। 3 (1977) 4 एससीसी 39.

41979 (3) एस. सी. सी. 04 एस. पी. द्वारा राज्य एस. पी. के माध्यम से सी. बी. आई. बनाम उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सी. आर. पी. सी., न्यायालय केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, बल्कि मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्षय के कुल प्रभाव और उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, यदि मामले में कोई बुनियादी दुर्बलता दिखाई देती है, आदि पर विचार करना पड़ता था। 20. श्री बसंत ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया कि केवल प्रत्यर्थी के आवास में बिक्री विलेख की उपस्थिति और अन्य

उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों में से कोई भी आरोप नहीं था। आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट में उत्तमचंद के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया उन अपराधों में से किसी का गठन नहीं करते हैं जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तमचंद सार्वजनिक नहीं थे

नौकर, और पी. सी. ए. की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (ई) के तहत अपराध नहीं कर सकता था। इस बात का कोई आरोप नहीं था कि उन्हें कोई मौद्रिक लाभ मिला, या ए-1 की संपत्ति जमा करने से उन्हें लाभ हुआ।

अपनी आय से असमान। इसके अलावा, उत्तमचंद के साथ फ्लैट की बिक्री के लेन-देन को जोड़ने का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, कोई आरोप नहीं

उत्तमचंद के खिलाफ आरोप पत्र में आरोप लगाया गया था जो आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत अपराध हो सकता है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

21. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v. के. नारायण राव 3

इस न्यायालय ने आपराधिक मामले में अभियुक्त के निर्वहन से संबंधित लागू मानक के प्रश्न से निपटने वाले पिछले निर्णयों की समीक्षा करने के बाद, निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांतों का सारांश दिया:

" 13. संहिता की धारा 227 के तहत अभियुक्त के निष्कासन पर इस न्यायालय द्वारा पी. विजयन [(2010) 2 एस. सी. सी. 398 में व्यापक रूप से विचार किया गया था, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: (एससीसी पीपी। 401-02 ,

पैरा 10-11)

" 10. ..... यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि कब्र से अलग है

संदेह होने पर, विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर उसे यह देखने का अधिकार नहीं होगा कि मुकदमा दोषसिद्धि में समाप्त होगा या बरी। इसके अलावा, 'अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं' शब्द

5 (2012) 9 एससीसी 512 [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के कहने पर आरोप तय करने के लिए केवल एक डाकघर नहीं है, बल्कि उसे यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों के प्रति अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए कोई मामला बनाया गया है या नहीं। इस तथ्य का आकलन करने में, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मामले के पक्ष और विपक्ष में या साक्षय और संभावनाओं के वजन और संतुलन में प्रवेश करे जो वास्तव में न्यायालय का कार्य है।

मुकदमा शुरू होने के बाद।

दूसरे शब्दों में, आधार की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्षय या अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को अपने दायरे में ले लेगी जो प्रत्यक्ष रूप से खुलासा करते हैं कि आरोपी के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियां हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सके। 12. रमेश सिंह [(1977) 4 एस. सी. सी. 39] में पहला निर्णय संविधान की धारा 227 और 228 की व्याख्या से संबंधित है।

अभियुक्त को दोषमुक्त करने या मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के बारे में विचार के लिए संहिता। उक्त निर्णय के पैरा 4 को सेवा में लगाया गया है जो निम्नानुसार है: (एससीसी पीपी। 41

42)

" 4. संहिता की धारा 226 के तहत अभियोजन पक्ष के लिए मामला खोलते समय अभियोजक को आरोपी के खिलाफ आरोप का वर्णन करना होता है और यह बताना होता है कि वह आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए किस सबूत का प्रस्ताव करता है। इसके बाद आता है।

प्रारंभिक चरण में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करे और उस ओर से अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुने। इसके बाद न्यायाधीश को संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश पारित करना होता है। यदि न्यायाधीश

माना जाता है कि आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है

अभियुक्त के खिलाफ, वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा, जैसा कि धारा 227 द्वारा आदेश दिया गया है। यदि, दूसरी ओर, न्यायाधीश की राय है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने एक अपराध किया है जिसका-(ख) विशेष रूप से न्यायालय द्वारा विचारण किया जा सकता है, तो वह एस. पी. द्वारा बयान करेगा।

उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

धारा 228 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ लिखित रूप में आरोप तय करना। दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ना

यह स्पष्ट होगा कि मुकदमे की शुरुआत और प्रारंभिक चरण में अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्षय की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। न ही अभियुक्त के संभावित बचाव के साथ कोई वजन जोड़ा जाना चाहिए। मुकदमे के उस चरण में न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी भी विस्तार से विचार करे और एक संवेदनशील संतुलन में विचार करे कि क्या तथ्य, यदि साबित हो जाते हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं। परीक्षण और निर्णय का मानक जो अंततः अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करने से पहले लागू किया जाना है, संहिता की धारा 227 या धारा 228 के तहत मामले को तय करने के चरण में बिल्कुल लागू नहीं किया जाना है। उस स्तर पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या इसके लिए पर्याप्त आधार है

अभियुक्त की दोषसिद्धि या क्या मुकदमा उसकी दोषसिद्धि में समाप्त होना निश्चित है। अभियुक्त के खिलाफ प्रबल संदेह, यदि मामला संदेह के क्षेत्र में रहता है, तो मुकदमे के समापन पर उसके अपराध के प्रमाण की जगह नहीं ले सकता है। लेकिन में।

प्रारंभिक चरण यदि कोई प्रबल संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायालय के लिए यह कहना खुला नहीं है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

अभियुक्त के खिलाफ। अभियुक्त के अपराध का अनुमान जो प्रारंभिक चरण में निकाला जाना है, फ्रांस में आपराधिक मामलों के मुकदमे को नियंत्रित करने वाले कानून के अर्थ में नहीं है, जहां अभियुक्त को दोषी माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत न हो।

सिद्ध हो जाता है। लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया यह तय करने के उद्देश्य से है कि न्यायालय को मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अभियोजक जिस साक्षय को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है, भले ही उसे प्रतिपरीक्षा में

चुनौती दिए जाने से पहले पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए या बचाव पक्ष के साक्षय द्वारा खंडन किया जाए, यदि कोई हो, तो यह नहीं दिखा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा। परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची यह इंगित करने के लिए कि क्या एक या दूसरे निष्कर्ष पर ले जाएगा, न तो संभव है और न ही उचित है। हम केवल एक और उदाहरण से कानून के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि पैन के तराजू [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त का अपराध या निर्दोषता कुछ इस तरह है जैसे मुकदमे के समापन पर भी, फिर, लाभ के सिद्धांत पर संदेह है कि मामला उसके बरी होने पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर, दूसरी ओर, धारा 227 या धारा 228 के तहत आदेश देने के प्रारंभिक चरण में ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से और आम तौर पर जो आदेश दिया जाना है, वह धारा 228 के तहत एक होगा, न कि धारा 227 के तहत।

14. उन्हीं प्रावधानों पर विचार करते हुए, अर्थात् आरोप तय करना और अभियुक्त को आरोपमुक्त करना, फिर से सज्जन में

कुमार [(2010) 9 एस. सी. सी. 368], इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया: (एससीसी पीपी। 375-77 , पैरा 19-21)

" 19. यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक चरण में, यदि एक मजबूत है

संदेह जो अदालत को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने के लिए आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो अदालत के लिए यह कहना खुला नहीं है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त के अपराध का अनुमान जो प्रारंभिक चरण में लिया जाना है, केवल प्रथम निर्णय लेने के उद्देश्य से है।

क्या अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। यदि सबूत जिसे अभियोजन पक्ष प्रस्तावित करता है

जोड़ अभियुक्त के अपराध को साबित करता है, भले ही प्रतिपरीक्षा में चुनौती दिए जाने से पहले उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए या बचाव पक्ष के साक्षय द्वारा खंडन किया जाए,

यदि कोई हो, तो यह नहीं दिखा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो पर्याप्त नहीं होगा। मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए आधार।

20. धारा 209 के तहत मामले की जांच कर रहे मजिस्ट्रेट

सी. आर. पी. सी. को केवल डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है और इसे आना है

एक निष्कर्ष कि क्या उसके समक्ष मामला इसके लिए उपयुक्त है

सत्र न्यायालय के प्रति अभियुक्त की प्रतिबद्धता। वह अभिलेख पर सामग्री की छान-बीन और तौल करने का हकदार है, लेकिन केवल

यह देखने के लिए कि क्या पर्याप्त सबूत हैं प्रतिबद्धता, और यह नहीं कि क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यदि कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है या सबूत पूरी तरह से श्रेय के योग्य नहीं है, तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह आरोपी को आरोपमुक्त करे, दूसरी ओर, यदि कुछ सबूत हैं जिन पर दोषसिद्धि हो सकती है।

उचित रूप से आधारित होने पर, उसे मामला करना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि धारा 227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एस. पी. द्वारा राज्य द्वारा एस. पी. के माध्यम से सी. बी. आई. बनाम.

जे. टी. ए. एम. सी. एच. बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सी. आर. पी. सी., मजिस्ट्रेट को मामले के पक्ष और विपक्ष की बारीकी से जांच नहीं करनी चाहिए और सबूतों को तौलना चाहिए जैसे कि वह एक मुकदमा चला रहा था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

21. संहिता की धारा 227 और 228 के दायरे के बारे में अधिकारियों के विचार करने पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं: (i) न्यायाधीश के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की निस्संदेह शक्ति है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं। प्राइमा निर्धारित करने के लिए परीक्षण

प्रत्यक्ष मामला प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

((ii) जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जो नहीं किया गया है।

ठीक से समझाया गया है, अदालत एक आरोप तैयार करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगी।

((ग) न्यायालय केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, साक्षय और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के कुल प्रभाव, किसी भी बुनियादी मुद्दे पर विचार करना होगा।

अपराध किया गया है, यह आरोप तैयार कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए निष्कर्ष को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अपराध।

(v) आरोप तैयार करने के समय, अभिलेख पर सामग्री के संभावित मूल्य में नहीं जाया जा सकता है, लेकिन आरोप तैयार करने से पहले न्यायालय को अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर अपना न्यायिक दिमाग लगाना चाहिए और यह संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा अपराध करना संभव था।

(vi) धारा 227 और 228 के स्तर पर, न्यायालय है -
यह पता लगाने के लिए कि क्या उससे सामने आने वाले तथ्यों को लिया गया है, अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

उनके अंकित मूल्य पर सभी के अस्तित्व का खुलासा होता है

कथित अपराध का गठन करने वाले तत्व। इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्षय की छान-बीन करें क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष जो कुछ भी सुसमाचार सत्य के रूप में बताता है उसे स्वीकार करे, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के खिलाफ हो।

(vii) यदि दो विचार संभव हैं और उनमें से एक केवल संदेह को जन्म देता है, जैसा कि गंभीर संदेह से अलग है, तो विचारण न्यायाधीश को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर, उसे यह नहीं देखना है कि मुकदमा समाप्त होगा या नहीं।

दोषसिद्धि या दोषमुक्ति में "।

22. जैसा कि तथ्यों की चर्चा से स्पष्ट है, उत्तमचंद पर मुख्य अभियुक्त, एक लोक सेवक (ए-1) के साथ उकसाने और/या साजिश रचने का आरोप है, ताकि उसे आय के अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने की अनुमति दी जा सके। ए-1 केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, जो आयकर विभाग में काम करते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने कंपनी के माध्यम से फ्लैट का अधिग्रहण किया था। दो अन्य आरोपी, जिन्होंने अधिग्रहण में सहायता की, सरकारी गवाह बन गए; उन्होंने भी मुकदमे के दौरान गवाही दी। प्रत्यर्थी की भूमिका यह है कि उसने संपत्ति के बिक्री विलेख के निष्पादन में मदद की, और स्वामित्व विलेख की अभिरक्षा उसे रखी। दस्तावेज़ वास्तव में उसके घर से जब्त किया गया था। यह जब्ती वर्तमान मामला शुरू होने से एक साल पहले हुई थी; वास्तव में, सी. बी. आई. ने एक और आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें ए-1 को भी फंसाया गया था। उस मामले में सीबीआई ने उसके पास से 50 लाख रुपये जब्त किए थे। वर्तमान मामले में, उत्तमचंद की हिरासत से बिक्री की वसूली कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति के विलेख के कारण अलग से कार्यवाही शुरू की गई; अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तमचंद पर आपराधिक आरोप लगाया गया।

षडचंत्र, धारा 120 ए, आई. पी. सी. 6 के तहत परिभाषित और इसके तहत दंडनीय

6 " 120 ए. आपराधिक षडचंत्र की परिभाषा। - जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं, या ऐसा करने का कारण बनते हैं,

(1) एक अवैध कार्य, या 2) एक ऐसा कार्य जो अवैध तरीकों से अवैध नहीं है, ऐसे समझौते को आपराधिक साजिश नामित किया जाता है:

बशर्ते कि अपराध करने के समझौते के अलावा कोई भी समझौता आपराधिक साजिश के बराबर नहीं होगा जब तक कि समझौते के अलावा कुछ कार्य ऐसे समझौते के एक या अधिक पक्षों द्वारा उसके अनुसरण में नहीं किया जाता है।

एस. पी. द्वारा राज्य एस. पी. के माध्यम से सी. बी. आई. बनाम उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आई. पी. सी. की धारा 120 बी और आई. पी. सी. 7 की धारा 107 द्वारा परिभाषित और आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत दंडनीय। धारा 13 (1) (ई) और धारा 13 (2), जो प्रासंगिक हैं, क्योंकि प्रतिवादी उत्तमचंद पर उन प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई थी, निम्नानुसार है:

" 13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार।

(1) एक लोक सेवक को आपराधिक अपराध करने वाला कहा जाता है।

दुराचार,

** ******

***

(ङ) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति कब्जे में है या उसके पास है,

अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय, कब्जे में था

जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है,

उसके लिए आनुपातिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का

आय के ज्ञात स्रोत।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ज्ञात

आय के स्रोत का अर्थ है किसी वैध से प्राप्त आय।

स्पष्टीकरण-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अवैध कार्य इस तरह के समझौते का अंतिम उद्देश्य है, या केवल उस उद्देश्य के लिए आकस्मिक है।

तीसरी बात। - जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है। स्पष्टीकरण 1. - एक व्यक्ति, जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने का प्रयास करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे उस काम को करने के लिए उकसाया जाता है। चित्रण ए, एक सार्वजनिक अधिकारी, न्याय न्यायालय के वारंट द्वारा जेड, बी को पकड़ने के लिए अधिकृत है, यह जानते हुए कि तथ्य और यह भी कि सी जेड नहीं है, जानबूझकर ए को दर्शाता है कि सी जेड है, और इस तरह जानबूझकर ए को सी को पकड़ने का कारण बनता है। स्पष्टीकरण 2. - कहा जाता है कि जो कोई भी, किसी अधिनियम के लागू होने से पहले या उसके समय, उस अधिनियम के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ भी करता है और इस तरह उसके लागू होने को सुविधाजनक बनाता है, वह उस अधिनियम को करने में सहायता करता है।

" 109. उकसाने की सजा यदि उकसाया गया कार्य परिणामस्वरूप किया जाता है और

जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है-जो कोई भी अपराध को बढ़ावा देता है, यदि उकसाया गया कार्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया गया है, और इस

संहिता द्वारा ऐसे उकसाने की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसे अपराध के लिए दिए गए दंड से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। एक कार्य या अपराध को उकसाने के परिणामस्वरूप किया गया कहा जाता है, जब यह उकसावे के परिणामस्वरूप किया जाता है, या साजिश के अनुसरण में, या सहायता के साथ जो उकसाने का गठन करता है। "[2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्रोत और ऐसी रसीद के अनुसार सूचित किया गया है

उस समय के लिए किसी भी कानून, नियमों या आदेश के प्रावधानों के साथ

लोक सेवक पर लागू होना।

(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है

एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो

3 [चार साल] से कम नहीं लेकिन जो 4 [दस साल] तक बढ़ सकता है

वर्ष] और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

" "

23. इस मामले में तथ्यात्मक वर्णन से पता चलता है कि उत्तमचंद,

प्रत्यर्थी, लोक अधिकारी या लोक सेवक नहीं था। इसलिए उस पर पी. सी. ए. की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (ई) के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है।

उत्तमचंद, कि उन्हें कोई मौद्रिक या अन्य लाभ प्राप्त हुआ, या कि उन्होंने ए-1 के लाभ के लिए अपने नाम पर संपत्ति रखी। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने जो संपत्ति खरीदी थी, वह उसके नाम पर थी। प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जो उसे बिक्री विलेख के निष्पादन से संबंधित लेनदेन से जोड़ता है, या यह आरोप लगाता है कि उसने ए-1 और अन्य लोगों के साथ एक अवैध कार्य करने के लिए समझौता किया था। इसके अलावा, अवैध तरीके से कानूनी कार्य किए जाने का कोई आरोप नहीं है।

इसलिए, प्रतिवादी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत कथित अपराध भी आरोप पत्र से नहीं बनता है।

24. आरोप-पत्र में आगे कोई आरोप नहीं है जो

आई. पी. सी. की धारा 109 के तहत अपराध हो सकता है। अभियोजन पक्ष ने यह सुझाव नहीं दिया है कि उसने ए-1 को किसी भी तरह से आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के लिए उकसाया; एकमात्र आरोप यह है कि स्वामित्व फ्लैट के लिए है, जो है - एम/एस के नाम पर। रवितेजा ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड को उसकी हिरासत से जब्त कर लिया गया था और उसने अपने कर्मचारी को दस्तावेज़ देखने का निर्देश दिया था। बिक्री विलेख के गवाह के रूप में उत्तमचंद के कर्मचारी के हस्ताक्षर होने का आरोप ए 1 को आय से अधिक संपत्ति हासिल करने में सहायता करने या उकसाने के बराबर नहीं हो सकता है। बिक्री विलेख को देखना एक औपचारिक आवश्यकता है। इसी तरह, यह तथ्य कि बिक्री विलेख उत्तमचंद के आवास में था, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए किसी भी अपराध के घटक को संतुष्ट नहीं कर सकता है।

25. अनुमोदनकर्ताओं के बयान, ए-3 और ए-4, जो थे

कथित अपराध को अंजाम देने में उत्तमचंद। पेन्डेंसी के दौरान वर्तमान कार्यवाही में 74 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वे इस न्यायालय के अभिलेख का हिस्सा थे; वे एस. पी. द्वारा एस. पी. बनाम सी. बी. आई. के माध्यम से राज्य नहीं बताते हैं।

उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जहाँ तक उत्तमचंद का संबंध है, कोई भी आपत्तिजनक सामग्री दिखाएँ।

इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, बिक्री विलेख के तहत खरीदी गई संपत्ति के लिए धन का पता उत्तमचंद की भागीदारी को नहीं दर्शाता है। इसमें ए-3 और ए-4 शामिल हो सकते हैं, हालांकि जैसा कि पहले कहा गया है, अदालत ने उन्हें माफी दे दी है, जिसके लिए वे सरकारी गवाह बन गए हैं। आरोप-पत्र के तहत फ्लैट की खरीद के लिए धन का पता-जिस पर विवादित फैसले में भी चर्चा की गई है, यह है कि (ए) संपत्ति मेसर्स द्वारा खरीदी गई थी। रवितेजा ट्रेडिंग कं. प्रा. ए-1 द्वारा कथित रूप से व्यवस्थित स्रोतों के माध्यम से लिमिटेड अपने मित्र ए-7 के माध्यम से; (बी) ए-1 का दो कंपनियों मेसर्स के साथ आधिकारिक लेनदेन था। ए. एस. शिपिंग एजेंसियां और मेसर्स। अबान ऑफशोर लिमिटेड, चेन्नई;

(ग) ए-1 के संदर्भ में, एक कंपनी (जिसमें ए-7 एक निदेशक (मेसर्स) है। टाइडल डेटा सॉल्यूशंस, बैंगलोर) ने उक्त दो कंपनियों (मेसर्स) को डेटा भंडारण सर्वर की आपूर्ति की थी। ए.

एस. शिपिंग एजेंसियां और मेसर्स। अबान अपतटीय लिमिटेड); (घ) बाद की दो कंपनियाँ [मेसर्स। ए. एस. शिपिंग एजेंसियां और मेसर्स। अबान ऑफशोर लिमिटेड] ने लगभग 1 करोड़ का भुगतान किया था।

ए-7 से अधिक (चालान राशि से अधिक); (ई) ए-7 ने चेक के माध्यम से भुगतान एकत्र किया था और उन्हें ए-6 की कंपनियों (उत्कर्ष इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड) के चालू खातों में जमा किया था। लिमिटेड, और उत्कर्ष स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड); (च) ए-7 के निर्देश पर, ए-6 की कंपनियों ने मेसर्स के खाते में * 94,82,300/- हस्तांतरित किया। रवितेजा ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड, जिसमें से ₹ 80,00,000/- का उपयोग कंपनी द्वारा किया गया था (अनुमोदक ए-4 द्वारा प्रतिनिधित्व ए-1 के निर्देश पर संपत्ति खरीदने के लिए। ए-4 द्वारा 50 लाख और 30 लाख के दो डिमांड ड्राफ्ट तैयार किए गए थे।

26. उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट दोनों के संदर्भ में, उत्तमचंद इसमें शामिल नहीं हैं। मनी ट्रेल या संपत्ति की खरीद के लिए लेन-देन जो

अभियोजन पक्ष के अनुसार ए-1 द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह एक तथ्य है कि न केवल जांच पूरी हो गई है, बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आगे कोई सबूत पेश करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। 27. सी. बी. आई. इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वर्तमान मामले में उत्तमचंद का नाम शामिल किया गया था, हालांकि तलाशी के दौरान बिक्री विलेख जब्त कर लिया गया था।

एक अन्य एफ. आई. आर. (पूर्ववर्ती मामला) के संबंध में कार्रवाई की गई-न कि वर्तमान मामले के संबंध में, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित है। वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. में केवल ए-1 और ए-2 को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। तब तक उत्तमचंद के घर से बिक्री विलेख पहले ही जब्त कर लिया गया था।

उत्तमचंद ने वर्तमान मामले में आरोप पत्र में [सी. सी. सं. <आई. डी. 1] सी. सी. सं. 3/2013 में अपने खिलाफ आरोपों के आधार पर या उन्हें स्वीकार करते हुए। अतः दोनों मामले अलग-अलग हैं। उत्तमचंद के खिलाफ आरोप सी. सी. सं. 3/2013 में आय से अधिक परिसंपत्तियों से संबंधित नहीं है। यह न्यायालय, जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। सुदर्शन चक्कर

ने कहा कि कानून अदालत को केवल आरोप पत्र और उसके साथ प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता है। यह देखा गया कि -

" हमारे सुविचारित विचार में, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों ने उपरोक्त निष्कर्षों पर अपने-अपने आदेशों को आधारित करने में गलती की। द.

सवाल यह है कि क्या उत्तरदाताओं ने अपना काम करना छोड़ दिया है
महीनों के लिए अनिवार्य कर्तव्यों को एक साथ डिज़ाइन किया गया या

लापरवाही का अनुमान केवल जांच के दौरान एकत्र की गई सभी सामग्रियों के समग्र दृष्टिकोण पर लगाया जा सकता है और अलग-अलग नहीं किया जा सकता है जैसा कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों द्वारा किया गया है। इसके अलावा पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित एक मामले में न्यायालय से, आरोप तैयार करने के समय, केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। उस संदर्भ में न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से लिखे गए पत्रों का उल्लेख करना उचित नहीं माना, जब उनकी प्रामाणिकता

और सच्चाई का पता लगाया जाना बाकी है।
इसलिए, सी. सी. सं. 3/2013 वर्तमान मामले के लिए अप्रासंगिक है।

29. इस न्यायालय ने कृत्यों या चूक, और साजिश से संबंधित आरोपों के संदर्भ में साजिश के सार को समझाया

पी. सी. ए. के तहत अपराध, के. नारायण राव (ऊपर) में, और कहा गया है:

" 24. आपराधिक साजिश के अपराध के तत्व यह हैं कि व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए।

जिन पर साजिश रचने का आरोप है और उक्त समझौते को

9 (1995) 4 एससीसी 181।

एस. पी. द्वारा राज्य एस. पी. के माध्यम से सी. बी. आई. बनाम उत्थमचंद बोहरा [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह किसी अवैध कार्य को करने के लिए या अवैध माध्यमों से ऐसा कार्य करने के लिए हो सकता है जो अपने आप में अवैध न हो। दूसरे शब्दों में, आपराधिक साजिश का सार एक अवैध

कार्य करने के लिए एक समझौता है और इस तरह के समझौते को प्रत्यक्ष रूप से साबित किया जा सकता है।

साक्षय द्वारा या परिस्थितिजन्य साक्षय द्वारा या दोनों द्वारा
सामान्य अनुभव की बात जो साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्षय

षड्यंत्र शायद ही कभी उपलब्ध होता है। तदनुसार, अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए घटना से पहले और बाद में साबित परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। भले ही कुछ कृत्य किए गए साबित हुए हों, यह स्पष्ट होना चाहिए कि

वे अभियुक्त व्यक्तियों के बीच किए गए एक समझौते के अनुसरण में प्रतिबद्ध थे जो कथित के पक्षकार थे

अपराध के संबंध में केवल तभी खींचा जा सकता है जब
परिस्थितियाँ किसी अन्य तर्कसंगत स्थिति के लिए अक्षम हैं

व्याख्या करें। दूसरे शब्दों में, साजिश के अपराध को केवल संदेह और अनुमानों या अनुमानों पर स्थापित नहीं माना जा सकता है जो ठोस और स्पष्ट रूप से समर्थित नहीं हैं।

स्वीकार्य प्रमाण।

एक लोक सेवक के साथ मिलकर काम करने वाले साजिशकर्ता के रूप में किसी को फंसाने के लिए सामग्री, जिसके तहत दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है

पी. सी. ए., या किसी लोक सेवक की ज्ञात संपत्ति के अनुपात से अधिक संचित संपत्ति

अतः आय के स्रोत ठोस आधार पर होने चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ केवल दो परिस्थितियों-बिक्री विलेख (कथित रूप से ए-1 से संबंधित संपत्ति) की अभिरक्षा और यह तथ्य कि यह उत्तमचंद के कर्मचारी द्वारा देखा गया था-का आरोप लगाया गया है। ये एक उचित संदेह पैदा करने या साजिश के लिए उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।

30. वर्तमान मामले के संदर्भ में, पी. नल्लम्मल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को याद करना उपयोगी होगा। कथन 1 0 जिसमें कहा गया है,

निम्नलिखित है:

" इस प्रकार, दोनों अभिधारणाओं को एक साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि

अपराध में क्रिस्टलीकरण, अर्थात्, लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति या संसाधनों का कब्जा और लोक सेवक की अक्षमता
इसका हिसाब रखें। पहले अंग के संबंध में सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर है जबकि जिम्मेदारी लोक सेवक पर है

10 (1999) 6 एससीसी 559 [2021] 9 एस. सी. आर.

दूसरा अंग साबित करें। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि उक्त अपराध के मुकदमे में एक गैर-लोक सेवक की कोई भूमिका नहीं है और इसलिए उसे पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत अपराध के लिए लोक सेवक के साथ टैग नहीं किया जा सकता है।

जहाँ तक प्रत्यर्थी उत्तमचंद का संबंध है, आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत सामग्री की प्रकृति को देखते हुए, यह दिखाने का प्रारंभिक बोझ कि एक साजिश मौजूद थी, उसके खिलाफ आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है।

31. हाल के एक निर्णय में, दीपक सुराना बनाम। एम. पी. की स्थिति-जहाँ तथ्य कुछ हद तक, यदि पूरी तरह से नहीं, इस मामले के तथ्यों के समान थे-न्यायालय ने फिर से जोर देकर कहा कि संदेह आरोप तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य बातों के साथ यह भी देखा गया कि -

" 10. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन समझौतों पर भरोसा किया गया है, उनमें अपीलार्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह निस्संदेह सच है कि अलोका बोस बनाम। परमात्मा देवी [अलोका बोस बनाम। परमात्मा देवी (2009) 2 एस. सी. सी. 582: ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1527] यह देखा गया है कि बिक्री के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अकेले विक्रेता द्वारा समझौते में नामित खरीदार द्वारा लागू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या
अपीलार्थियों को साजिश में शामिल कहा जा सकता है। विचाराधीन समझौतों को अपीलार्थियों की अभिरक्षा से भी बरामद नहीं किया गया था और विक्रेताओं से ही बरामद किया गया था। समझौतों के एकतरफा होने और अपीलार्थियों के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण, ऐसे समझौतों के केवल निष्पादन को अपीलार्थियों के खिलाफ एक प्रासंगिक परिस्थिति नहीं माना जा सकता है। इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि समझौते में उल्लिखित विचार हो सकता है

अपीलार्थियों का पता लगाया गया है, और न ही किसी भी गवाह द्वारा ऐसा कोई बयान है जो अपीलार्थियों और किसी अन्य अभियुक्त के बीच निकटता या मन की बैठक का

सुझाव देता है। इन परिस्थितियों में, विशेष न्यायाधीश का दृष्टिकोण काफी सही था। उच्च न्यायालय की स्थापना उचित नहीं थी

विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया। हमारे देश में माना जाता है कि अभिलेख पर सामग्री पूरी तरह से कम है और इसके खिलाफ आरोप तय करने को उचित नहीं ठहरा सकती है याचिकाकर्ता।

32. आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट के साथ निचली अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री का पूरा अवलोकन, साथ ही एस. पी. द्वारा राज्य का बयान।

74 जिन गवाहों से मुकदमे के दौरान पूछताछ की गई थी, वे उत्तमचंद पर सीबीआई के आरोप का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस लेन-देन का वित्तपोषण नहीं किया जिसके द्वारा संपत्ति मेसर्स रवितेजा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट को बेची गई थी। लिमिटेड, जो उस अभियोजन के अनुसार, वास्तव में ए-1 द्वारा था। प्रत्यर्थी पर यह भी आरोप नहीं है कि उसने धन के प्रवाह को सुगम बनाया है फ्लैट का निधि अधिग्रहण। उसके खिलाफ रखी गई सामग्री यह है कि वर्तमान मामले से पहले बिक्री विलेख को जब्त कर लिया गया था। उसके खिलाफ दूसरी परिस्थिति यह है कि उसका कर्मचारी बिक्री विलेख का गवाह है। मान लीजिए कि प्रत्यर्थी न तो मालिक है और न ही उसका मेसर्स रवितेजा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट के साथ कोई संबंध है। लि. इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि कोई भी सामग्री जो प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष का समर्थन कर सकती है कि

उत्तमचंद या तो एक षडयंत्रकारी थे या उन्होंने आरोपी ए-1 के खिलाफ कथित अपराधों को करने के लिए उकसाया था।

33. पूर्वगामी कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान अपील में योग्यता का अभाव है। इसलिए इसे बिना किसी लागत के खारिज कर दिया जाता है।

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे